

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही भंग इमिग पल्लु जज.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम को तामील
में जारी हुए

5.11.20 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, वकील
वादिचा से प्रार्थना पत्र 212 R-T-A पर बहस के
दौरान बताया कि प्रार्थिया की अस्थाई निषेधाज्ञा
बही मिली तो अपूरणीय क्षति होगी।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ऐव प्रार्थिया
अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 R-T-A के तहत मूल
वाद पत्र के विस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा
जारी की जाती है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर मूलवाद पत्र के
साथ सलम हो।

उपखण्ड अधिकारी
नांडल जिला मीलवाड़ा